



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224895  
CG-DL-E-03022021-224895

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942

No. 58]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 2 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 96(अ).—स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों के प्रारूप, जिसे केन्द्र सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित व्यक्तियों को जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, जिस तारीख से इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, उससे तीस दिन या उसके पश्चात विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों के बारे में, आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई है, को श्री सुशील के. सातपूते, निदेशक (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं. 265, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110001 या ईमेल: sushil.satpute@nic.in को ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे।

उक्त प्रारूप के बारे में, किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियाँ या सुझाव, को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2021 होगा।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा
3. उक्त नियम में, नियम 2 में, उप नियम (xxix) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा;  
“(xxix) (क) आईएसओ टैंक कंटेनर से ऐसा टैंक कंटेनर अभिप्रेत है जिसमें दो बुनियादी तत्व शामिल हैं, पात्र और ढांचा, जो सड़क, रेल और समुद्र के द्वारा संपीडित गैस परिवहन के लिए उपयुक्त है, जिसमें परिवहन के इन रूपों के बीच अंतर्बदल शामिल है, और जो आईएसओ 1496 की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है”।
4. उक्त नियम में, नियम 2 (xi) के पश्चात, निम्नलिखित पंक्ति प्रतिस्थापित की जाएगी:-  
“(xi) (क) थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी (टीपीआईए) से ऐसा पेशेवर संगठन अभिप्रेत है जो मुख्य नियंत्रक द्वारा निरीक्षण, प्रमाणन, परीक्षण और खतरनाक रसायन निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के तहत परिभाषित प्रमुख दुर्घटना खतरों (एमएएच) परिसर की सुरक्षा ऑडिट करने के लिए मान्यता प्राप्त हैं और जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके पास सक्षम व्यक्तियों के समान योग्यता और अनुभव हो”।
5. उक्त नियम में, नियम 2 उप नियम (xl) में, ‘दाब पात्र’ शब्द के पश्चात निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे: अर्थात-  
“,आईएसओ टैंक कंटेनर”
6. उक्त नियम में, नियम 18 (2)(xiii) में, ‘सक्षम व्यक्ति’ शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे: अर्थात-  
“,थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी (टीपीआईए)”
7. उक्त नियम में, नियम 19 (1)(क) और 19(7) में, ‘सक्षम व्यक्ति’ शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;  
“,थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी (टीपीआईए)”
8. उक्त नियम में, नियम 33 में, ‘सक्षम व्यक्ति’ शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे: अर्थात-  
“,थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी (टीपीआईए)”
9. उक्त नियम में, नियम 43 में, ‘सक्षम व्यक्ति’ शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे: अर्थात-  
“,थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी (टीपीआईए)”
10. उक्त नियम में, नियम 49 उप नियम (4) में, ‘एलएस-2’ शब्द और अंक के पश्चात निम्नलिखित शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे: अर्थात-  
“,एलएस-2क”
11. उक्त नियम में, नियम 50 उप नियम (ग) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा: अर्थात-  
“प्रारूप एएस -4 में, यदि आवेदन भारतीय क्षेत्र के भीतर भूमि मार्ग से आईएसओ टैंक कंटेनर में संपीडित गैस परिवहन की अनुमति के संबंध में है या आईएसओ टैंक पोत में संपीडित गैस के आयात और परिवहन की अनुमति हैं”

12. उक्त नियम में, परिशिष्ट II में, क्र.सं. 2 में, कॉलम 4 में, “(1) न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव - ” शब्दों को “न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव- ” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
13. उक्त नियम में, परिशिष्ट III में, क्र.सं. क और 4 में, कॉलम 4 में, ‘सक्षम व्यक्ति’ शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-  
“थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी (टीपीआईए)”
14. उक्त नियम में, अनुसूची 1ख क्र.सं. 14 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

15	भारतीय क्षेत्र के भीतर भूमि मार्ग से आईएसओ टैंक कंटेनरों में संपीडित गैस के परिवहन की अनुमति	5000/ वर्ष
----	--	------------

15. उक्त नियम में, प्ररूप एस-3 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

**प्ररूप एस-4**

**(नियम 50 देखें)**

**भारतीय सीमा में सड़क द्वारा आईएसओ टैंक कंटेनरों में संपीडित गैस के परिवहन की अनुमति के लिए आवेदन प्रोफार्मा**

1. जिस नाम से अनुमति अपेक्षित है
  - i- आवेदक का नाम
  - ii- आवेदक का पूरा डाक पता
  - iii- टेलीफोन संख्या(एं) और ई-मेल
2. एसएमपीवी (यू) नियम, 2016 और गैस सिलेंडर नियम, 2016 के तहत भंडारण लाइसेंस का विवरण:
  - i - मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक द्वारा जारी किए गए भंडारण अनुज्ञप्ति की संख्या और तारीख
  - ii- अनुज्ञप्ति की वैधता - ..... तक
  - iii- उपरोक्त अनुज्ञप्ति के अनुसार भंडारण की क्षमता
3. आईएसओ टैंक कंटेनर का विवरण:
  - i. मालिक कोड और सीरियल नंबर
  - ii. मॉडल संख्या
  - iii. विनिर्माता देश का नाम
  - iv विनिर्माता का नाम
  - v. विनिर्माण का वर्ष
  - vi अनुमोदन देने वाले देश का नाम
  - vii- डिजाइन अनुमोदन के लिए प्राधिकृत निकाय
  - viii- दाबपात्र डिजाइन कोड
  - ix- अधिकतम स्वीकार्य वर्किंग दाब (MAWP)
  - x- परीक्षण दाब

- xi- प्रारंभिक दाब परीक्षण की तारीख
  - xii- डिजाइन तापमान रेंज
  - xiii- पात्र के निर्माण की सामग्री
  - xiv- शेल और डिश एन्ड्स की न्यूनतम मोटाई
  - xv- आईएसओ टैंक कंटेनर की जल क्षमता
  - xvi- अधिकतम अनुमेय सकल द्रव्यमान
  - xvii- अनलेडन टेयर द्रव्यमान
  - xviii- किसके द्वारा निरीक्षण और परीक्षण किया गया
  - xix- निर्धारित दाब को शामिल करते हुए, पात्र में लगे हुए सुरक्षा वाल्व्स की ब्यौरा
  - xx- डिजाइन आरेखण
  - xxi- माउंटिंग ड्राइंग
  - xxii- से भरा हुआ (गैस का असली रासायनिक नाम)
  - xxiii- यदि द्रवित गैस से भरा हुआ है तो उसका भरण अनुपात
  - xxiv- अंतिम हाइड्रोलिक परीक्षण की तिथि
4. आईएसओ टैंक कंटेनर के माउन्टिंग के उद्देश्य से प्रयोग किए जाने वाले प्राइम मूवर (रों) का मेक एंड मॉडल आवेदन की तारीख आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का डाक पता

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के दो सेट संलग्न किए जाएं

- i- प्रारंभिक निरीक्षण प्रमाणपत्र / नियंत्रण प्रमाणपत्र
  - ii- मान्य परीक्षण और निरीक्षण प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
  - iii- थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेन्सी द्वारा विधिवत पृष्ठांकित वेसल डिजाइन ड्राइंग
  - iv- आईएसओ-कंटेनर आदि के लिए माउन्टिंग आरेखण ।
  - v- एसएमपीवी(यू) नियम 2016 के नियम 43 के अन्तर्गत जारी प्रमाणपत्र
  - vi- अनुमति शुल्क रुपए 5000 प्रतिवर्ष
5. उक्त नियम में, प्ररूप एलएस-2 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

**प्ररूप - एलएस -2क**

**भारतीय सीमा में सड़क द्वारा आईएसओ टैंक कंटेनर में संपीडित गैस के परिवहन की अनुमति**

**(नियम 49 और 50 देखें)**

अनुमति संख्या .....

शुल्क रुपए 5000 प्रतिवर्ष

को भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों और इस अनुमति की शर्तों के तहत निम्न विवरण के अनुसार आएसओ टैंक द्वारा संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए अनुमति प्रदान की जाती है -

#### आईएसओ टैंक कंटेनर का वर्णन

- i- मालिक का कोड और क्रम संख्या
- ii- आईएसओ टैंक कंटेनर का मॉडल नंबर
- iii- किस देश में विनिर्मित
- iv- विनिर्माता का नाम
- v- अधिकतम स्वीकार्य वर्किंग दाब (MAWP)
- vi- आईएसओ टैंक कंटेनर की जल क्षमता
- vii- अधिकतम अनुमेय सकल द्रव्यमान
- viii- मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित माउंटिंग आरेखण का विवरण
- ix- .....से भरा हुआ (गैस का असली रासायनिक नाम)
- x- अधिकतम अनुमेय पेलोड
- xi- प्राइम मूवर(रों) का का मेक और मॉडल
- xii- पंजीकृत लदान भार (RLW)

यह अनुमति, जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध रहेगी।

जारी करने की तारीख

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक / विस्फोटक नियंत्रक

यदि वाहन स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम 2016 के अध्यायों II और IV की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं पाए जानेवाले जिन नियमों एवं शर्तों के अधीन यह अनुमति जारी की गई है, उनमें से किसी का उल्लंघन होने की दशा में यह अनुमति रद्द की जा सकती है एवं अनुमति धारक अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा।

#### शर्तें

1. आईएसओ टैंक कंटेनर का उपयोग उस संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए किया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है।
2. लोड वाहन का वजन आईएसओ टैंक कंटेनर पर माउंटिंग के उद्देश्य से प्रयोग किए जाने वाले प्रस्तावित वाहन के आरएलडब्ल्यू / जीसीडब्ल्यू / जीवीडब्ल्यू से अधिक नहीं होगा।
3. आईएसओ टैंक कंटेनर का उपयोग संपीड़ित गैस के स्थिर भंडारण अधिष्ठापन के लिए नहीं किया जाएगा।
4. भारतीय सीमा के अन्दर आईएसओ टैंक कंटेनर के बहुविध परिवहन के मामले में—  
क माउंटिंग एवं डी-माउंटिंग के स्थानों पर उठाने और बांधने की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।  
ख- रेलवे/ पत्तन/पोत परिवहन महानिदेशक/सीमा शुल्क आदि जो भी लागू हो के सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन का उत्तरदायित्व अनुमति धारक का होगा।
- 5- आईएसओ टैंक कंटेनर पर आईएसओ 6348 की अपेक्षाओं के चिहनांकन होगा।

- 6- IMDG में विनिर्दिष्टानुसार आईएसओ टैंक कंटेनर का आवधिक निरीक्षण किया जाएगा।
- 7- आईएसओ टैंक कंटेनर की मरम्मत मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा की जाएगी।
- 8- अनुमति पत्र को अनुमति प्राप्त वाहन में हर समय रखा जाएगा और नियम 70 में विनिर्दिष्टानुसार, किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- 9- अनुमति प्राप्त वाहन चलाने या तत्सम्बन्धी किसी भी कार्य के लिए केवल ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जो अनुमति की शर्तों के जानकार हों।
- 10- अनुमति प्राप्त वाहन के साथ हमेशा एक जिम्मेदार व्यक्ति तथा संपीडित गैस के परिवहन के समय कम से कम दो व्यक्ति मौजूद रहेंगे।

बशर्ते अनुमति प्राप्त वाहन, यदि खाली हो, तो मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में, उस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किए गए स्थान पर बिना किसी की मौजूदगी के खड़ा किया जा सकता है।

- 11- अनुमति प्राप्त वाहन में हमेशा उपलब्ध रखा जाए –

ए- कम से कम दो पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र, जो 9 लीटर से कम न हों एवं रासायनिक आग बुझाने के लिए उपयुक्त हों;

बी- ज्वलनशील संपीडित गैस के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन के मामले में विद्युत बॉन्डिंग के लिए एक मजबूत लचीला केबल; केबल कम से कम 5 मीटर लंबा होगा और प्रत्येक छोर पर एक उपयुक्त क्लैप या क्लिप होगा।

- 12- संपीडित गैस, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट से अनुज्ञप्त परिसर के अन्दर अनुमोदित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर या जब पात्र मय फिटमेंट लीक, दोषपूर्ण या अन्यथा असुरक्षित हो, आईएसओ टैंक कंटेनर में / से लोड या अनलोड नहीं किया जाएगा।

बशर्ते किसी दुर्घटना या ब्रेक डाउन की स्थिति में आईएसओ टैंक कंटेनर को सभी सावधानियों और पर्याप्त पर्यवेक्षणके साथ किसी भी अन्य स्थान पर अनलोड किया जा सकता है।

- 13- किसी आईएसओ टैंक कंटेनर किसी भी संपीडित गैस को सीधे किसी भी प्रोसेस पात्र में डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा।

- 14- यदि कोई भी फिटमेंट मय पात्र लीक, दोषपूर्ण या अन्यथा असुरक्षित हो, अनुमति प्राप्त आईएसओ टैंक कंटेनर लोड नहीं किया जाएगा।

- 15- अनुमति प्राप्त आईएसओ टैंक कंटेनर में / से संपीडित गैस लोड / अनलोड करने से पूर्व –

क- इसके इंजन को बंद कर दिया जाएगा और बैटरी को एक उचित स्विच या अन्यथा अलग किया जाएगा;

ख- इसके पहिए ब्रेक द्वारा या स्कैचिंग द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे;

ग- यदि वाहन ज्वलनशील संपीडित गैस के परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो इसकी चेसिस को पाइप के साथ एक केबल द्वारा या जिसमें से इसे लोड या अनलोड किया जाना है, विद्युत रूप से जोड़ा जाएगा;

घ- दोनों सिरों पर सही प्रकार से भरण या डिस्चार्ज पाइप कनेक्शन किए जाएंगे;

ङ- जब तक लोडिंग या अनलोडिंग खत्म न हो जाए एवं वाहन को सील न कर दिया जाए, एक जिम्मेदार व्यक्ति साथ में उपस्थिति में होगा।

- 16- ट्रेफिक सिग्नलों पर या अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की आवश्यकतानुसार या नियमों को लागू करने वाले किसी अन्य अधिकारी के कहे जाने के अतिरिक्त अनुमति प्राप्त वाहन किसी सड़क पर, भीड़भाड़ युक्त स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर आईएसओ टैंक कंटेनर वाहन के लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए जो नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति परिसर के अन्दर कोई स्थान नहीं है, नहीं रोका जाएगा।

- 17- किसी ज्वलनशील गैस के परिवहन के लिए के लिए प्रयोग में लाए जा रहे अनुमति प्राप्त वाहन पर धूम्रपान, किसी भी प्रकार के अग्नि का स्रोत या कृत्रिम रोशनी या कोई वस्तु जो ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न कर सकता है, की अनुमति नहीं होगी।
- 18- अनुमति प्राप्त आईएसओ टैंक कन्टेनर यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- 19- अनुज्ञप्त प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमति के बिना आईएसओ टैंक कन्टेनर या उसके फिटिंग्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे बदलाव अनुज्ञप्ति में संशोधन के रूप में पृष्ठांकित होंगे।
- 20- आईएसओ टैंक कन्टेनर के अन्दर घटित किसी दुर्घटना, अग्नि, विस्फोट या किसी अप्रिय घटना की सूचना संप्रेषण के शीघ्रगामी साधन द्वारा तत्काल मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक, निकटतम पुलिस थाना एवं जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी।

### फार्म-एलएस – 2 ख

आईएसओ टैंक कंटेनर में संपीड़ित गैस के आयात और परिवहन के लिए अनुमति

प्रदान करने हेतु प्रोफार्मा

(देखें 49 और 50 रु)

सेवा में,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**विषय :** एसएमपीवी (यू) नियम -2016 के तहत आईएसओ टैंक कंटेनर में संपीड़ित गैस का आयात और परिवहन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपने पत्र क्रमांक ----- दिनांक ----- का सन्दर्भ लें।

आईएसओ कन्टेनर में निम्न विवरण के अनुसार ..... से ..... स्थित आपके फैक्ट्री परिसर तक ..... गैस के आयात और परिवहन (और खाली कन्टेनर की वापसी) के लिए अनुमति प्रदान की जाती है -

पात्र सम्बन्धी विवरण -

1. फैब्रिकेटर का नाम:
2. क्रम संख्या:
3. डिजाइन / वर्किंग प्रेशर:
4. डिजाइन तापमान
5. निर्माण कोड / प्रकार:
6. पानी की क्षमता:
7. परीक्षण और निरीक्षण:
8. प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक:
9. वजन:
10. सुरक्षा वाल्व सेट दाब:
11. विपुल भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या:

उपरोक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है -

- क- अनुमति केवल आईएसओ कंटेनर के एक बार के आयात / निर्यात के लिए मान्य है।
- ख- आईएसओ टैंक कंटेनर(रों) के परिवहन के दौरान सुरक्षा सावधानियों और एसएमपीवी (यू) नियम -2016 के सुसंगत प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।
- ग- यदि लागू हो तो वाहन की निकासी में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित स्पार्क अरेस्टर लगा होना चाहिए।
- घ- कंटेनर की माउंटिंग / डिमाउंटिंग का कार्य आपके संगठन के एक जिम्मेदार अधिकारी की प्रत्यक्ष देखरेख में किया जाएगा एवं इस विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा एसएमपीवी(यू) नियम 2016 के नियम 43 के अन्तर्गत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- ङ- पत्तन / परिवहन और संबंधित अन्य प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति / मंजूरी / लाइसेंस प्राप्त किया जाएगा।
- च- टैंक का सकल वजन वाहन के आरएलडब्ल्यू से अधिक नहीं होगा।
- छ- उत्पाद केवल एसएमपीवी(यू) नियम -2016 के प्ररूप - III में अनुज्ञप्त परिसर में ही लोड / अनलोड किया जाएगा।
- ज- आईएसओ कंटेनर को भरने / खाली करने के बाद आईएसओ कंटेनर की वापसी के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

उपरोक्त अनुमति सुरक्षा के हित में और शर्तों के उल्लंघन की दशा में, आवश्यक होने पर किसी भी समय की समीक्षा, संशोधन किया जा सकता है और वापस लिया जा सकता है।

इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उपरोक्त अनुमति अन्यथा मान्य है।

भवदीय

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

[फा. सं. 2(1)/2017-Expl]

सुमिता डावरा, अपर सचिव

#### पदनाम

**नोट :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1109(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. 388(अ) तारीख 20 अप्रैल, 2018 और सा.का.नि. 148(अ) तारीख 25 फरवरी, 2019 द्वारा संशोधित किया गया।

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2021

**G.S.R. 96(E).**—The draft of the following rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (I) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and



notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Shri Sushil K Satpute, Director (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No 265 Udyog Bhawan, New Delhi – 110 011 or sent by email (sushil.satpute@nic.in) within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

### Draft Rules

1. **Short title and commencement-**(1) these rules may be called the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) (Amendment) Rules 2021.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Static and Mobile Pressure Vessels (U) Rules, 2016 following may be amended
3. In the said Rules in Rule 2 after sub rule (xxix) following shall be inserted namely;  
“(xxix)(a) ISO Tank Container means tank container which includes two basic elements, the vessel and the framework, suitable for the carriage of compressed gas for conveyance by road, rail and sea, including interchange between these forms of transport and complies with requirements of ISO 1496”
4. In the said Rules, in Rule 2 after(xl), the following lines to be added:-  
(xl) (a) Third Party Inspection Agency (TPIA) means a professional organization recognized by Chief Controller to carry out inspection, certifications, testing and safety audit of major accident hazards (MAH) premises as defined under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989, and having persons with qualifications and experience as applicable to the competent persons.
5. In the said Rules in Rule 2 sub rule (xliii) after the word pressure vessel following words shall be inserted namely;  
“,ISO Tank Container”
6. In the said Rules, in the rule 18 (2) (xiii) after the word “competent person” the following words shall be inserted, namely: -  
“, Third party inspection agency (TPIA)”.
7. In the said Rules, in the rule 19 (1) (a) and 19 (7) after the word “competent person” the following words shall be inserted, namely: -  
“, Third party inspection agency (TPIA)”.
8. In the said Rules, in the rule 33 after the word “competent person” the following words shall be inserted, namely: -  
“, Third party inspection agency (TPIA)”.
9. In the said Rules, in the rule 43 after the word “competent person” the following words shall be inserted, namely: -  
“, Third party inspection agency (TPIA)”.
10. In the said Rules, in the rule 49 sub rule (4) after the words & figure LS-2. Following words and figure shall be inserted namely;  
“LS-2A”
11. In the said Rules in Rule 50 after sub rule (c) following shall be inserted namely;

“In Form AS-4, if the application is in respect of permission to transport compressed gas in ISO Tank Container by Road within the Indian Territory or to grant permission for Import & Transport of Compressed Gas in ISO Tank Container”

12. In the said Rules, in Appendix IIA, at Sl. No. 2, in column 4 the words “(1) A minimum experience of 10 years in –” shall be substituted with

“(1) A minimum experience of 5 years in –”

13. In the said Rules, in Appendix III, at Sl. No. A &4, after the word “competent person” the following words shall be inserted, namely: -

“, Third party inspection agency (TPIA)”.

14. In the said Rules in Schedule IB after Sl No. 14 following shall be inserted namely;

15	Grant of permission to Transport Compressed gas in ISO Tank containers by Road within the Indian Territory	5000/Year
----	--	-----------

15. In the said Rules after Form AS-3 following Form shall be inserted namely;

**FORM AS-4**

(See Rule 50)

**Application proforma for the grant of permission to Transport Compressed gas in ISO Tank containers by Road within Indian Territory**

1. Name in which permission required
  - i. Applicant’s calling
  - ii. Applicant’s full postal address
  - iii. Telephone No(s) and E-mail
2. Particulars of storage licence under SMPV(U) Rules, 2016 & Gas Cylinders Rules, 2016 :
  - i. Number and date of storage licence issued by the Chief Controller/Controller
  - ii. Validity of licence upto
  - iii. Capacity of storage as per above licence
3. Description of the ISO Tank container :
  - i. Owners code & Serial Number
  - ii. Model Number
  - iii. Country of manufacture
  - iv. Name of the Manufacturer
  - v. Year of Manufacture
  - vi. Approval country
  - vii. Authorized body for design approval
  - viii. Pressure Vessel Design Code
  - ix. Maximum Allowable Working Pressure(MAWP)
  - x. Test Pressure
  - xi. Initial Pressure Test Date
  - xii. Design Temperature Range

- xiii. Material of construction of vessel
  - xiv. Nominal thickness of shell and dish ends
  - xv. ISO tank container Water capacity
  - xvi. Maximum permissible gross mass
  - xvii. Unladen tare mass
  - xviii. Inspected and tested by
  - xix. Specification of the safety valves fitted to the vessel including set pressure
  - xx. Design drawing
  - xxi. Mounting drawing
  - xxii. Filled with (True chemical name of the gas)
  - xxiii. Filling ratio, if filled with a liquefiable gas
  - xxiv. Date of last hydraulic test
4. Make and Model of Prime Mover(s) to be used  
for ISO Tank Container mounting purpose

Date of application

Signature of applicant

Postal address of the applicant

Application shall accompany two sets of following documents

- i. Initial inspection certificate / Certificate of Control
- ii. Valid test and inspection certificates if applicable
- iii. Vessel design drawing, duly endorsed by third party inspecting agency
- iv. Mounting drawing for ISO-container, etc..
- v. Certificates issued under Rule - 43 of SMPV (U) Rules, 2016.
- vi. Permission Fee Rs.5000/Year

5. In the said Rules after the Form LS-2 following Form shall be inserted namely;

**FORM-LS-2A**

**Permission to Transport Compressed Gas in ISO Tank Container by Road within the Indian Territory**

*(See Rule 49 & 50)*

Permission No. \_\_\_\_\_

Fee Rs. 5000/Year

Permission is hereby granted to \_\_\_\_\_ to transport compressed gas by the ISO Tank Container as described below subject to the provisions of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and the rules made there under and to the further conditions of this Permission.

**DESCRIPTION OF THE ISO TANK CONTAINER**

- i. Owners code & Serial Number
- ii. ISO Tank Container Model Number
- iii. Country of manufacture

- iv. Name of the Manufacturer
- v. Maximum Allowable Working Pressure(MAWP)
- vi. ISO tank container Water capacity
- vii. Maximum permissible gross mass
- viii. CCOE approved Mounting drawing details
- ix. Filled with (True chemical name of the gas)
- x. Maximum permissible Payload
- xi. Make and Model of Prime Mover(s)
- xii. Registered Laden Weight (RLW)

This Permission will remain valid up to one year from date of grant of permission

Date of Issue: Chief Controller of Explosives/Controller of Explosives

This Permission is liable to be cancelled if the Permitted vehicle is not found conforming to the requirements of chapters II and IV of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules 2016, or for the contravention of any of the said rules and conditions under which this Permission is granted and the holder of this Permission is also punishable under the Act

#### CONDITIONS

1. ISO Tank Container shall be used for transportation of compressed gas for which permission is granted
2. Loaded vehicle weight shall not be more than RLW/GCW/GVW of the vehicle proposed to be used for ISO Tank Container mounting purpose
3. ISO Tank Container shall not be used for static storage installation for compressed gas
4. In case of multimodal transportation of ISO Tank container within the Indian Territory
  - a. adequate lifting and tie-down facilities shall be ensured at mounting and demounting locations
  - b. Permission holder shall be responsible for compliance of statutory requirements of Railways/Ports/ Director General of Shipping/ Customs etc., as applicable.
5. ISO Tank Container shall bear Markings as per the requirements of ISO 6348
6. Periodic inspection of ISO Tank Container shall be carried out as specified in IMDG
7. Repair of ISO Tank Container shall be carried out by Original Equipment Manufacturer
8. The permission letter shall be kept at all times in the permitted vehicle and produced on demand by an officer specified in Rule 70.
9. Only responsible persons who are conversant with the conditions of this permission shall be employed for driving the Permitted vehicle or attending to it.
10. The Permitted vehicle shall be constantly attended to by a responsible person and by at least two persons while it is transporting compressed gas:
 

Provided that the permitted vehicle may, if empty, be kept unattended in a place approved for the purpose, in writing, by the Chief Controller or Controller.
11. The permitted vehicle shall at all times carry –
  - a. at least two portable fire extinguishers of capacity not less than 9 litres and suitable for extinguishing chemical fires;
  - b. a strong flexible cable for electrical bonding in case of vehicle used for transportation of flammable compressed gas; the cable shall be at least 5 metres long and shall have at each end a suitable clamp or clip.
12. The compressed gas shall not be loaded or unloaded in/from ISO Tank Container except in a place which is approved within the premises licensed for the purpose under the rules by the Chief Controller or Controller or when the fitments including vessel becomes leaky, defective or otherwise insecure.

Provided that the permitted ISO Tank Container may be unloaded at any other place with all the precautions and under adequate supervision if such unloading is necessitated by an accident or break down.

13. No ISO Tank Container shall discharge any compressed gas directly into any process vessel.
14. The permitted ISO Tank Container shall not be loaded if any of the fittings including vessel becomes leaky, defective or otherwise insecure.
15. Before compressed gas is loaded into or unloaded from the permitted ISO Tank Container –
  - a. its engine shall be stopped and the battery shall be isolated by a proper switch or otherwise;
  - b. its wheels shall be secured by brakes or by scotching;
  - c. its chassis shall be electrically bonded by a cable with the pipe into or from which it is to be loaded or unloaded, in case of vehicle used for transportation of flammable compressed gas;
  - d. the correct filling or discharge pipe connections are made at both ends;
  - e. a responsible person shall be in attendance and remain so until loading or unloading is over and the vehicle has been sealed.
16. Except when called upon by traffic signals or required by the licensing authority or any other officer entrusted with the job of enforcing the rules, the permitted vehicle shall not stop on any road, congested area or a place which is not a place situated within the premises licensed under the rules for the loading and unloading of ISO Tank Container vehicle.
17. No smoking and no fire or artificial light or any article capable of igniting flammable vapour shall be allowed on the permitted vehicle used for the transportation of any flammable gas.
18. The permitted ISO Tank Container vehicle shall not be used for carrying passengers.
19. No alteration in the permitted ISO Tank Container or its safety fittings shall be carried out without previous sanction in writing of the licensing authority. Such alteration so sanctioned shall be endorsed on the licence by an amendment.
20. Any accident, fire, explosion or untoward incident occurred within the permitted ISO Tank Container vehicle shall be immediately reported to the Chief Controller, Controller, nearest police station and District Magistrate by quickest mode of communication.

### FORM-LS-2B

#### **Proforma for Grant of Permission for Import & Transport of Compressed Gas in ISO Tank Container**

(See Rule 49 & 50)

To,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Sub:** Import & transport of Compressed Gas in ISO tank Container under SMPV (U) Rules-2016.

Sir,

Please refer to your letter No. ----- Dated -----on the above subject.

Permission is hereby accorded for the import and transport \_\_\_\_\_ gas from -----, to your factory premises at ----- (and return of empty container) in ISO- container as per the details furnished below:

#### **VESSEL PARTICULARS:**

1. Name of the Fabricator :
2. Serial No. :
3. Design/Working Pressure :

4. Design Temperature
5. Fabrication Code/Type :
6. Water Capacity :
7. Test & Inspection :
8. Certificate No.& date.
9. Weight :
10. Safety Valve Set Pressure :
11. Bulk Storage Licence No. :

The above permission is accorded subject to the following conditions:-

- a. The permission is valid only for one time import/export of ISO container.
- b. safety precautions and relevant provisions of the SMPV(U) Rules-2016 should be strictly complied with during transportation of the ISO Tank Container(s).
- c. The exhaust of the vehicle shall be fitted with a spark Arrestor of a make approved by the Chief Controller of Explosives if applicable
- d. The mounting/demounting of the container shall be carried out under the direct supervision of a responsible officer of your Organization and a Safety Certificate under rule 43 issued under SMPV(U) Rules 2016 by a competent person duly recognized by this Department.
- e. Necessary permission/ clearance/licences shall be obtained from Port/Transport and any other authority concerned.
- f. The gross weight of the tank shall not exceed the RLW of the vehicle
- g. Product shall be loaded/unloaded only in the premises licensed in FORM-III of the SMPV(U) Rules-2016.
- h. Please submit documentary evidence for return of ISO container after filling/emptying of ISO Container.

The above permission may be reviewed, amended and withdrawn at any time, if considered necessary in the interest of safety and contravention of conditions.

**The above permission is otherwise valid for a period of ONE YEAR from the date of issue of this letter.**

Yours faithfully,

For Chief Controller of Explosives

[F. No. 2(1)/2017-Expl]

SUMITA DAWRA, Addl. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification G.S.R. 1109(E), dated the 1<sup>st</sup> December, 2016, subsequently amended *vide* G.S.R 388(E), dated the 20<sup>th</sup> April, 2018 and G.S.R 148(E), dated 25<sup>th</sup> February, 2019.